समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला विधि शाखा)

**-: आम सूचना :-**

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों के द्वारा विभिन्न न्यायिक वादों में सरकार की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु तथ्य विवरणी तैयार कर अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदन हेतु प्राप्त हो रहे हैं। तैयार तथ्य विवरणी अस्पष्ट होता है एवं भाषा में भी काफी अशुद्धियाँ पायी जाती है, जिस कारण माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र समय से दाखिल नहीं हो पाता है। वित्त विभागीय संकल्प संख्या 7248 दिनांक 04.08.2011 एवं संकल्प सं0 487-वि0, दिनांक 15-01-2014 के द्वारा पारिश्रमिक निर्धारित करते हुए विभिन्न न्यायिक वादों में सरकार की ओर से गुणवत्तापूर्ण तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु सुयोग्य अधिवक्ता/ सेवानिवृत्त पदाधिकारी/ कर्मचारी (अंग्रजी जानने वाले) की सूची तैयार कर उनकी सेवा लिये जाने का निदेश प्राप्त हुआ है।

अतः इस निमित्त वैसे इच्छुक सुयोग्य अधिवक्ता/ सेवानिवृत्त पदाधिकारी/ कर्मचारी (अंग्रजी जानने वाले), जो उक्त सेवा प्रदान करना चाहते हैं, लिखित रूप से अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदन पत्र में निम्न व्यौरा अंकित रहना आवश्यक है :- (1) आवेदक का नाम (2) आवेदक के पिता का नाम (3) वर्तमान पता (कार्यालय/चेम्बर) (4) स्थायी पता (5) दूरभाष सं0/ मोबाईल सं0 (6) ई-मेल आई0डी0। प्राप्त आवेदन के आधार पर एक पैनल तैयार किया जायेगा। तदोपरान्त सुयोग्य व्यक्तियों का चयन कर उन्हें अधिकृत करते हुए उनकी सेवा ली जायेगी।

ह0/-

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक......1340......../विधि, मधेपुरा, दिनांक......27/11/15

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आम सूचना की तीन प्रतियाँ एवं सी0डी0 सहित संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि हिन्दी के दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था की जाय।

प्रतिलिपि : सभी कार्यालय प्रधान, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं जन साधारण की जानकारी हेतु अपने-अपने सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,

मधेपुरा।